

## वार्षिक स्थानान्तरण 2018 के सम्बन्ध में प्रस्तावित दिशा-निर्देश

1. स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

2. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण—(धारा-7)

ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम में रखते हुए संबंधित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में कुल रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जाएगा।

3. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करना तथा पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना—(धारा-9)

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जाएगा। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहाँ वह तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण के मानक:—(धारा-10)

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिक का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 3 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किए जायेंगे।

परन्तु यह कि अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु मानक एवं उपलब्ध तथा सम्भावित रिक्तियों की गणना करना/पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना:—(धारा-12)

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाय। सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जाएगा।